


R 382-III/08

न्यायालय में - राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०।

3



- 1- सुदामा सिंह पिता स्व० धर्मराज सिंह
- 2- श्रीमती गीता सिंह पुत्री सुदामा सिंह
- 3- श्रीमती रेखा सिंह पुत्री सुदामा सिंह

सभी निवासी अनूपपुर रेल्वे फाटक के पास जिला अनूपपुर
म०प्र० ----- आवेदक गण ।

बनाम श्री
द्वारा आज दि० को प्रस्तुत ।

1- अनिल सिंह
2- अरविन्द सिंह
3- अजय सिंह
4- अरुण सिंह
5- अखिलेश सिंह

पिता सुदामा सिंह निवासी अनूपपुर
रेल्वे फाटक के पास जिला अनूपपुर
म०प्र० ----- रैस्पानो गण

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त रीवा जिला
रीवा म०प्र० प्र० क्र० 532/अपील/06-07 आदेश
दिनांक 31.1.08 ,
अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० का० मा० ।

श्री सुधीर मिश्रा
आवेदक/अधीनस्थ अनूपपुर

कलेक्टर,
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

क्रमांक 610
राजस्व पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 8-4-08 को प्राप्त
कलेक्टर और कोर्ट
राजस्व मण्डल म प्र ग्वालियर

मान्यवर,
आवेदक गण निम्नलिखित कारणसे निगरानी पेश कर
प्रार्थी है-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का आदेश
कानून एवं वाक्यातन गलत है।

R 382-III/08 - मरुपुर

सुदामा सिंह । जमिल सिंह कोरटे

तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिप्राय
आदि के हस्ताक्षर

10.2.16

आवेदनों की ओर से जोड़े उपस्थित
नहीं। आवेदन सं। सुरक्षा एवं आवेदन सं 2
गीता के प्रति ही शक्य-दीय के साथ नोटिस
व्यक्त प्राप्त हुआ था। यह प्रकरण वर्ष 2008
से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदनों
को प्रकरण के संलाचन में राखी नहीं है। अतः
प्रकरण अग्रिम में निरस्त कर जाते हैं।
प्रकरण सम्बन्धित रिपोर्ट भी

शरक

शरक
13/02/16